न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 47/2025 दायर दिनांकः 20.05.2025

उनवान

1. रीना देवी आयु 35 वर्ष पुत्री किशनलाल पत्नि मनोज कुमार जाति जाटव निवासी मोठपुर हाल मुकाम सुखपुरा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 27.11.2025

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मोठपुर पटवार हल्का मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 514 का ख.नं. 174 का रकबा 1.25 हे0, ख.नं. 3232/66 का रकबा 0.65 हे0, ख.नं. 77 का रकबा 0.77 हे०, ख.नं. 77/2661 का रकबा 0.48 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3. 15 हेक्टर आराजी प्रार्थिया के शामलाती खाते दर्ज स्थित है। प्रार्थना पत्र के साथ नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 एवं आधार कार्ड. जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड की फोटो प्रतियां पेश है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 514 में प्रार्थिया का नाम सहवन से भूलवश राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी क्रम 1 के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा फोती नामान्तकरण दर्ज करते समय सुनीता बाई गलत दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थिया का अन्य दस्तावेज राशन कार्ड तथा भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड में सही नाम रीना देवी दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र

की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम मोठपुर की आराजी खाता संख्या 514 में गलत दर्ज नाम सुनीता बाई के स्थान पर प्रार्थिया का सही नाम रीना देवी पुत्री किशनलाल दुरस्त करवाया जाना सम्भव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का सही नाम दर्ज नही होने की सूरत में प्रार्थिया को राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ परिलाभो से वंचित होना पड़ेगा। जिसके फलस्वरूप प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं है तथा प्रार्थिया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इस वजह से प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि राजस्व रिकॉर्ड ग्राम एवं माल मोठपुर की आराजी खाता संख्या 514 में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर सुनीता बाई के स्थान पर प्रार्थिया का सही नाम रीना देवी पुत्री किशनलाल जाति जाटव दर्ज किया जावे। प्रार्थिया द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलत नाम सुनीता बाई के स्थान पर रीना देवी शुद्ध करने बाबत राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा०दी० मियादी दो माह प्रेषित करवा दिया है लेकिन प्रार्थिया किसान सम्मान निधि की मिलने वाली राशि से वंचित हो रही है। इस वजह से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण दिनांक 17/04/2025 को प्रार्थिया राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि प्राप्त करने बाबत ऑन लाइन करवाने गई तो प्रार्थिया का जमाबन्दी खाता संख्या 514 में गलत नाम दर्ज होने से रजिस्ट्रेशन नही हो सका तथा अन्तिम बार दिनांक 28/04/2025 को राजस्थान सरकार को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करने पर भी प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त नहीं करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम एवं माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर एवं अवधि मध्य पेश है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट बाबत इन्द्राज दुरस्ती प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम एवं माल मोठपुर की आराजी खाता संख्या 514 में दर्ज प्रार्थिया का गलत नाम सुनीता बाई के स्थान पर सही नाम रीना देवी पुत्री किशनलाल जाति जाटव निवासी मोठपुर तहसील अटरू दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/3057 दिनांक 15.09.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार सुनीता देवी उर्फ रीना देवी व उसका परिवार लम्बे समय से बाहर रहता है। अतः मजमे आम ने इस बारे में कोई जानकारी देने में अक्षमता बताई तथा बताया की इसके बारे में कोई जानकारी नही है। जमाबन्दी सम्वत 2073–7076 शामलाती खाता संख्या 514 का ख0नं0 174, 3236/66, 77, 77/2661 कुल रकबा 3.15 है0 सुनीता बाई पुत्री किशनलाल हिस्सा 1/12 जाति जाटव सा.देह खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। खाता संख्या 514 नोट नं0 11 दिनांक 22.04.2025 ख0नं0 174, 3236/66, 77, 77/2661 पर तहसीलदार अटरू के पत्रांक/टी0आर0ए/2025/01 दिनांक 03.04.2025 की पालना के कम में प्रकरण संख्या 71/2024 में सरकार बनाम सोनू उर्फ जट्टा में दुर्गाप्रसाद उर्फ दुर्गालाल पुत्र चतुर्भुज उर्फ चतरू निवासी गायत्रीनगर अटरू से तकाजा करने पर 50000/– देने से मना करने पर बाकीदार की भूमि ख0नं0 174, 3236/66, 77, 77/2661 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.15 है0 में दुर्गालाल पुत्र चतरू के हिस्से को कुर्क कर राजहक में ली गई है। वर्तमान जमाबन्दी में नोट दर्ज है।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 सीताबाई पत्नी स्व0 किशनलाल जाति जाटव निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड व Pw2 रीना देवी पुत्री किशनलाल पत्नी मनोज जाति जाटव निवासी मोठपुर हाल सुखपुरा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थिया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थिया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोठपुर सम्वत 2073–76 खाता संख्या 514, प्रशासक ग्राम पंचायत मोठपुर प्रमाण पत्र दिनांक 13.05.2025, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक आई0डी0बी0आई0 शाखा अटरू, पेन कार्ड शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल मोठपुर तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 514 के ख.नं. 174 का रकबा 1.25 हे0, ख.नं. 3232/66 का रकबा 0.65 हे0, ख.नं. 77 का रकबा 0.77 हे०, ख.नं. 77/2661 का रकबा 0.48 हे0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.15 हेक्टर आराजी में सहखातेदार सुनीताबाई पुत्री

किशनलाल के स्थान पर रीना देवी पुत्र किशनलाल किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार पीपलीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां